प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक 2890 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अगस्त 29 ,2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order.

4. Further, we find from record that vide order 20.05.2024, Joint Committee comprising Ministry of Environment, Forest and Climate Changes, UPPCB, Central Pollution Control Board and a representative of Wadia Institute of Geology, Dehradun was constituted to submit its report with regard to following aspects:-

"........whether for the purpose of mining, cutting of hills which may result in ultimate extinction of hills can be allowed and whether it may not affect the environment and ecology permanently and have detrimental effect on the ecology."

5. However, the report submitted by the Committee does not touch on the said aspects at all and is totally silent. We call upon the members of the said Committee to explain, why this aspect has not been examined though that was the only aspect on which they were required to address, and explain why appropriate action may not be taken against them for non-compliance of order of this Tribunal. However, we leave it open to Committee to submit supplementary report covering the aspect on which they were required to submit report vide order dated 20.05.2024.

6. List on 02.09.2024."

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पट्टाधारको द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.08.2024 **(संलग्नक–01)** द्वारा स्वतः ही खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2024 **(संलग्नक–02)** द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा हेतु निर्गत जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित तीनो पट्टाधारको को कार्यालय आदेश दिनांक 29.08.2024 **(संलग्नक–03)** द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य न किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

29/08/24

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री मुकेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त वाद में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।

जिलाधिकारी
बाँदा।

2145

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बाँदा।

सेवा में,

मा0 रजिस्टार,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
प्रिसिपल बेंच, नई दिल्ली।

पत्रांक 2090 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अगस्त 29 ,2024

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के कार्यकारी अंश निम्नवत है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order.

4. Further, we find from record that vide order 20.05.2024, Joint Committee comprising Ministry of Environment, Forest and Climate Changes, UPPCB, Central Pollution Control Board and a representative of Wadia Institute of Geology, Dehradun was constituted to submit its report with regard to following aspects:-

"........whether for the purpose of mining, cutting of hills which may result in ultimate extinction of hills can be allowed and whether it may not affect the environment and ecology permanently and have detrimental effect on the ecology."

5. However, the report submitted by the Committee does not touch on the said aspects at all and is totally silent. We call upon the members of the said Committee to explain, why this aspect has not been examined though that was the only aspect on which they were required to address, and explain why appropriate action may not be taken against them for non-compliance of order of this Tribunal. However, we leave it open to Committee to submit supplementary report covering the aspect on which they were required to submit report vide order dated 20.05.2024.

6. List on 02.09.2024."

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पट्टाधारको द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक 28.08.2024 **(संलग्नक–01)** द्वारा स्वतः ही खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2024 **(संलग्नक–02)** द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा हेतु निर्गत जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित तीनो पट्टाधारको को कार्यालय आदेश दिनांक 29.08.2024 **(संलग्नक–03)** द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य न किये जाने हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिलाधिकारी
बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. श्री मुकेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त वाद में प्रभावी पैरवी करने का कष्ट करें।

29/8/24

जिलाधिकारी
बाँदा।

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में ग्राम–गिरवां, तहसील नरैनी के गाटा सं0–1876 (खण्ड सं0–01) रकबा 2.02 हे0 भू–क्षेत्र में गिट्टी/पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 09.11.2020 से 08.11.2030 तक स्वीकृत/निष्पादित है। पूर्व में पारित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 24.11.2023 के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्रफल आबादी के दृष्टिगत आंशिक रूप से कम करते हुये रकबा 1.95 हे0 पर खनन/परिवहन हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के बिन्दु सं0–03 में निम्नवत आदेश पारित किया गया है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order."

यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत खनन पट्टा हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–H16322 दिनाक 28.08.2024 **(छायाप्रति संलग्नक)** द्वारा जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रार्थी उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत अपने खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य सम्पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी दें रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक :– 28.08.2024
संलग्नक : यथोक्त।

प्रार्थी

Sangram Singh
(संग्राम सिंह)
पुत्र श्री जयवन्त सिंह
निवासी ग्राम–पहरा तहसील व
जिला महोबा।

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
3. अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), बांदा।
4. उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
5. खान अधिकारी, बांदा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।

Sangram Singh
(संग्राम सिंह)
पुत्र श्री जयवन्त सिंह

2147

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में ग्राम–गिरवां, तहसील नरैनी के गाटा सं0– 1876 (खण्ड सं0–03) रकबा 1.41 हे0 भू–क्षेत्र में मिट्टी/पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 03.01.2022 से 02.01.2032 तक स्वीकृत/निष्पादित है। पूर्व में पारित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 24.11.2023 के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्रफल आबादी के दृष्टिगत आंशिक रूप से कम करते हुये रकबा 1.24 हे0 पर खनन/परिवहन हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के बिन्दु सं0–03 में निम्नवत आदेश पारित किया गया है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order."

यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत खनन पट्टा हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–H16320 दिनांक 28.08.2024 **(छायाप्रति संलग्नक)** द्वारा जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रार्थी उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत अपने खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य सम्पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी दें रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक :– 28.08.2024
संलग्नक : यथोक्त।

प्रार्थी

सुरेश प्रताप सिंह

श्री बजरंग रोड लाइन्स
पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह
पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह
निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584,
कटरा लालगंज, तहसील गौरीगंज,
जिला अमेठी।

प्रतिलिपि :–

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), बांदा।
उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
खान अधिकारी, बांदा।
क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।

सुरेश प्रताप सिंह

श्री बजरंग रोड लाइन्स
पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह

सेवा में,

श्रीमान् जिलाधिकारी,
बाँदा।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में ग्राम–जरर, तहसील नरैनी के गाटा सं0 245 (खण्ड सं0 03) रकबा 2.00 हे0 भू–क्षेत्र में गिट्टी/पत्थर का खनन पट्टा दिनांक 09.11.2020 से 08.11.2030 तक स्वीकृत/निष्पादित है। पूर्व में पारित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 24.11.2023 के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का खनन पट्टा क्षेत्र का क्षेत्रफल आबादी के दृष्टिगत आंशिक रूप से कम करते हुये रकबा 1.75 हे0 पर खनन/परिवहन हेतु आदेश निर्गत किये गये है।

वर्तमान में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के बिन्दु सं0–03 में निम्नवत आदेश पारित किया गया है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change alteration modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order."

यहां यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी के पक्ष में उपरोक्त स्वीकृत खनन पट्टा हेतु मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने पत्र सं0–H16321 दिनांक 28.08.2024 **(छायाप्रति संलग्नक)** द्वारा जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।

प्रार्थी उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत अपने खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य सम्पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थी दें रहा है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

दिनांक :– 28.08.2024
संलग्नक : यथोक्त।

प्रार्थी
Saffar Ali
(सफदर अली)
पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली
निवासी मु0–खूंटी चौराहा,
अलीगंज, शहर व जिला बांदा।

प्रतिलिपि :–

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
3. अपर जिलाधिकारी (वि/रा0), बांदा।
4. उपजिलाधिकारी/पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
5. खान अधिकारी, बांदा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।

Saffar Ali
(सफदर अली)
पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली

2149

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No. ...HAC/322/ ... /24 दिनांक Date 22/2/2...

सेवा में

श्री संग्राम सिंह,
नि0– पहरा, तहसील व जनपद– महोबा
द्वारा गाटा सं0– 1876, खण्ड सं0– 01, रकबा– 2.02 हे0,
ग्राम–गिरवां, तहसील– नरैनी, जनपद– बाँदा

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–422/2023 (O.A No. 289/2024) अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–422/2023 (O.A No. 289/2024) अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अन्तर्गत श्री संग्राम सिंह, नि0– पहरा, तहसील व जनपद–महोबा द्वारा गाटा सं0– 1876, खण्ड सं0–01, रकबा 2.02 हे0, ग्राम–गिरवां, तहसील– नरैनी, जनपद– बाँदा के सम्बंध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है–

.....3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई द्वारा किये जा रहे खनन कार्य को फ्रेश पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने तक निषेधित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट Ref No. 170041/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2022 dated 16-12-2022 को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई श्री संग्राम सिंह, नि0– पहरा, तहसील व जनपद–महोबा द्वारा गाटा सं0–1876, खण्ड सं0–01, रकबा–2.02 हे0 ग्राम–गिरवां, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा को खनन कार्य हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट दिनांक 16.12.2022 को माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार उक्त स्थल पर खनन कार्य बन्द रखा जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गत

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के क्रम में इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के क्रम में इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष 0522-2720828, 2720831
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई–मेल info@uppcb.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in

Scanned with OKEN Scanner

2150

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सन्दर्भ सं0 / Ref No 1136321 [illegible] दिनांक / Date [illegible]

सेवा में

मैसर्स श्री सफदर अली,
निवासी मु0–खूटी चौराहा, अलीगंज, जनपद–बॉदा
द्वारा गाटा सं0–2450, खण्ड सं0–03, रकबा 2.0 हे0,
ग्राम–जरर, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अन्तर्गत मैसर्स श्री सफदर अली, निवासी मु0–खूटी चौराहा, अलीगंज, जनपद–बॉदा द्वारा गाटा स0–2450, खण्ड सं0–03, रकबा–2.0 हे0, ग्राम–जरर, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा के सम्बन्ध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

.....3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change alteration modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage. Hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order.

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई द्वारा किये जा रहे खनन कार्य को नया पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने तक निषेधित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट Ref No. 181856/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 dated 20.04.2023 को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स श्री सफदर अली, निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, जनपद–बॉदा द्वारा गाटा सं0–2450, खण्ड सं0–03, रकबा–2.0 हे0, ग्राम–जरर, तहसील–नरैनी, जनपद–बॉदा को खनन कार्य हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट दिनांक 20.04.2023 को माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार उक्त स्थल पर खनन कार्य बन्द रखा जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गत

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के कम मे इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के कम मे इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिलाधिकारी, बाँदा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 2889 /खनिज–30, बाँदा दिनांक : अगस्त 29 ,2024

"आदेश"

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0–422/2023 अभिषेक शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में सुनवाई उपरान्त मा0 न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 02.08.2024 को आदेश पारित किया गया, जिसके पैरा नं0–03 में निम्न अवधारित किया गया है :–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is a change/alteration/modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order."

उपरोक्त आदेश से जनपद बाँदा अन्तर्गत निम्नलिखित उपखनिज गिट्टी/पत्थर के खनन पट्टे आते है, जिनके खनन पट्टा क्षेत्र नजदीक स्थित आबादी के निकट पाये जाने के फलस्वरूप क्षेत्रफल को संशोधित किये जाने के कारण नये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिये गये है :–

क्र0 सं0	पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण–पत्र संख्या/दिनांक	पट्टाधारक का नाम व पता	तहसील	खनन पट्टा क्षेत्र	गाटा संख्या	संशोधित रकबा (हे0 में)	पट्टा अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	358/Parya/SEIAA /5000/2019 दिनांक 05.10.2020	श्री सफदर अली पुत्र स्व0 श्री फरजन्द अली निवासी मु0–खूंटी चौराहा, अलीगंज, शहर व जिला बांदा	नरैनी	जरर	2450 (खण्ड सं0–3)	1.75	09.11.2020 से 08.11.2030 तक
2.	MoEFCC Proposal no- SIA/UP/MIN/ 67365/2021 & SEIAA, U.P File no- 6560/6103 दिनांक 14.12.2021	श्री बजरंग रोड लाइन्स पार्टनर श्री सुरेश प्रताप सिंह पुत्र श्री तेज प्रताप सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584, कटरा लालगंज, तहसील गौरीगंज, जिला अमेठी	नरैनी	गिरवां	1876 (खण्ड सं0–03)	1.24	03.01.2022 से 02.01.2032 तक
3.	239/Parya/SEIAA /5518-4782/2019 दिनांक 11.08.2020	श्री संग्राम सिंह पुत्र श्री जयवन्त सिंह निवासी ग्राम–पहरा तहसील व जिला महोबा।	नरैनी	गिरवां	1876 (खण्ड सं0–1)	1.95	09.11.2020 से 08.11.2030 तक

यहां यह उल्लेखनीय है कि सम्बन्धित पट्टाधारको द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र दिनांक–28.08.2024 द्वारा स्वतः ही खनन पट्टा क्षेत्र से खनन/परिवहन कार्य बंद किये जाने का उल्लेख किया गया है। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र दिनांक 28.08.2024 द्वारा स्वीकृत खनन पट्टा हेतु निर्गत जल एवं वायु (सी0टी0ओ0) प्रमाण–पत्र को अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार सम्बन्धित पट्टाधारको को निर्देशित किया जाता है कि अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन/परिवहन कार्य किसी भी दशा में न किया जाय एवं मा0 अधिकरण के आदेशो का अक्षरशः अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(नगेन्द्र प्रताप)
जिलाधिकारी, बाँदा।

पत्रांक व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस अधीक्षक, बाँदा।
4. अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), बाँदा।
5. उपजिलाधिकारी, नरैनी।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरैनी।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा।
8. खान अधिकारी, बाँदा।
9. सम्बन्धित पट्टाधारको को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
बाँदा।

2153

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0
Ref. No .... दिनांक
Date

सेवा में,

मैसर्स बजरंग रोड लाइन (श्री सुरेश प्रताप सिंह)
नि0–ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584 कटरा लालगंज, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी
द्वारा गाटा सं0–1876, खण्ड सं0–03, रकबा–1.41 हे0
ग्राम–गिरवां, तहसील–नरैनी, जनपद–बाँदा

विषय– माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–422/2023 (O.A No. 291/2024) अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 422/2023 (O.A No. 291/2024) अभिषेक शुक्ला बनाम सफदर अली व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अन्तर्गत मैसर्स बजरंग रोड लाइन (श्री सुरेश प्रताप सिंह) नि0–ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584 कटरा लालगंज, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी द्वारा गाटा सं0 1876, खण्ड सं0 03, रकबा 1.41 हे0, ग्राम–गिरवां, तहसील–नरैनी, जनपद– बाँदा उ0प्र0 के सम्बंध में पारित आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत हैः–

"3. Further, we find that in O.A No. 422/2023, O.A No. 289/2024 and O.A No. 291/2024, it is an admitted position that the lease area has been substantially reduced by Mining Authorities and that being so, under provisions of Environment Impact Assessment Notification dated 14.09.2006 as amended from time to time as also the conditions of EC, if there is any change alteration modification in the project, proponent is required to obtain fresh/revised EC and so long as such EC is not obtained, the earlier EC lease to be valid EC for carrying out mining on the area permitted by Mining Authorities at this stage. Hence, proponents in above three matters cannot be allowed to continue with mining activities without valid EC. We accordingly restrain them from carrying out any mining activities till they obtain fresh EC in accordance with law. District Magistrate, Banda, Senior Superintendent of Police, Banda and Member Secretary, UPPCB shall ensure compliance of this order"

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 द्वारा आपकी खनन इकाई द्वारा किये जा रहे खनन कार्य को नए पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होने तक निषेधित किया गया है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा 25/26 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 21/22 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट Ref No. 184828/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/BANDA/2023 dated 03.06.2023 को निरस्त किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

अतः क्षेत्रीय अधिकारी, बांदा के पत्र दिनांक 27.08.2024 द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति के दृष्टिगत् जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत आपकी खनन इकाई मैसर्स बजरंग रोड लाइन (श्री सुरेश प्रताप सिंह), नि0–ग्राम व पोस्ट–मऊ, 584 कटरा लालगंज, तहसील–गौरीगंज, जनपद–अमेठी द्वारा गाटा स0–1876, खण्ड सं0–03, रकबा–1.41 हे0, ग्राम–गिरवां, तहसील–नरैनी, जनपद– बॉदा उ0प्र0 को खनन कार्य हेतु राज्य बोर्ड से निर्गत संचालनार्थ सहमति (सी0टी0ओ0) सर्टिफिकेट दिनांक 03.06.2023 को माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन में अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेशानुसार उक्त स्थल पर खनन कार्य बन्द रखा जाये।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गत

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के क्रम मे इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बांदा को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2024 के अनुपालन के क्रम मे इस आशय के साथ कि प्रश्नगत खनन इकाई के संचालन प्रतिबंधित रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

टी0सी0–12 वी0, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ – 226010
फोन 0522-2720828, 2720831
फैक्स 0522-2720764, 2720676
ई-मेल info@uppcb.in
वेबसाइट www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

Scanned with OKEN Scanner